



Impact Factor: 4.081

## महिला सशक्तिकरण में स्वरोजगार में संलग्न महिलाओं की परिवारिक एवं सामाजिक स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (बागेश्वर जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

कृ.सरिता<sup>1</sup>, प्रोफेसर इला साह<sup>2</sup>

<sup>1</sup> शोध छात्रा समाजशास्त्र, एस.एस.जे.परिसर अल्मोडा (उत्तराखण्ड)।

<sup>2</sup> विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, एस.एस.जे.परिसर अल्मोडा (उत्तराखण्ड)।

संराश—: आज के बदलते एव परिवारिक परिवेश में महिलाओं ने जीवन के प्रतेक क्षेत्र में अपनी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर स्वयं को पुरुषों के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। प्राचीन काल से ही महिला एक अच्छे प्रबंधक के रूप में कार्य का निर्वहन करती आयी है। किन्तु जैसा की हम सब जानते है भारत सदेव से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है। जिसमें महिलाओं की स्थिति प्रायः दोयम दर्जे की मानी जाती है। अतः ऐसी स्थिति में जहाँ एक ओर महिला अपने कार्यक्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं आवश्यक है, कि उसकी पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति भी उसके अनुकूल हो तभी उसके एवं उसकी योग्यताओं का प्रदर्शन स्वभाविक है

**keyword—:** महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, परिवार, सामाजिक, चुनौतियां, स्वयं सहायता समूह

प्रस्तावना : प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण में स्वरोजगार में संलग्न महिलाओं की परिवारिक एवं सामाजिक स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है। किसी भी देश के विकास में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना गया है कि, महिलाएँ समाज का अभिन्नअंग होती है। अतः किसी भी समाज का सामाजिक एवं आर्थिक विकास महिला सशक्तिकरण के बिना अधूरा है। “पंडित जवाहरलाल नेहरू” ने इस सन्दर्भ में कहा है कि, “यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा<sup>1</sup>। वास्तव में महिलाएँ प्राचीन समय में ही परिवार की आय को बढ़ाने में अपना सहयोग देती थी परन्तुतब यह सहयोग प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष रूप में होता था, यद्यपि महिलायें पुरुषों पर सदैव निर्भर रही है, परन्तु एक सहायक के रूप में कार्य करती रही है। मानव प्रजाति के प्रारम्भ होने के समय कार्य सोंपे गये है। प्राचीन समय में पुरुष युद्ध करते थे और शिकार करते थे, जबकि महिलाएँ कम खतरनाक और घर के पास के व्यवसाय से जुड़ी रहती थी। कार्यों के स्वयं के इस आधारभूत विभाजन से यह पता चलता है कि, किस प्रकार पुरुष और महिला ने हमेशा से ही काम किया है, तथा उसे कुछ निश्चित आर्थिक कार्य निपटाने होते थे।<sup>2</sup> भारत वर्ष एक कृषि प्रधान गाँव का देश है, आज भी 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है। भारतीय परम्परागत समाज हमेशा से पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित रहा जिसके कारण महिलाओं की स्वतंत्रता हमेशा से अपवाद रही, पारिवारिक आय वृद्धि एवं देश की प्रगति में महिलाओं का हमेशा से सहयोग अप्रत्यक्ष ही रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद महिलाओं में विभिन्न व्यवसायों से जुडने में तीव्र वृद्धि हुई। जिसमे भारत भी शामिल था हॉलाकि पाश्चात्य देशों की तुलना में यह प्रक्रिया यहाँ विलम्ब से प्रारम्भ हुई। परिवर्तन प्रकृति का अनिवार्य नियम है और इसी के कारण आज महिलाओं का घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर आजीविका हेतु कार्य करने को एक नयी घटना के रूप में देखा जा सकता है। पितृसत्तात्मक मूल्य, पुरुष वर्चस्व की मानसिकता आदि अनेक कारणों से

भारतीय व्यवस्था के इतिहास में महिलाओं की दशा व विषय रही है जिसका प्रमुख कारण समाज व्याप्त संकीर्ण व रूढ़िवादी विचारधारा को माना जा सकता है।

प्रमिला कपूर ने कार्यरत महिलाओं के विषय में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि वे महिलाएँ जो आर्थिक कारणों से रोजगार अपनाती हैं उनका एक समरूप समूह नहीं है यह केवल निम्न मध्यम वर्ग की ही नहीं होती जो अपने परिवार के अपर्याप्त बजट को पूरा करती है बल्कि ऐसी महिलाएँ भी कार्य करती हैं जिनके पति उच्च पद पर होते हैं। तथा ऊँचा वेतन पाते हैं।<sup>3</sup> भारत जैसे परम्परागत देश में महिलाओं की व्यवसायिक क्षेत्र में संख्या अपेक्षाकृत कम है लेकिन विकास एवं प्रगति की दृष्टि से यह सुखद व स्वस्थ प्रक्रिया है। घर से बाहर निकलकर कार्यक्षेत्र में प्रवेश ने महिलाओं के विचारों में तार्किकता, परिवार में सम्मानजनक स्थान, आर्थिक निर्णय की क्षमता, जीवन साथी का स्वतंत्र चुनाव और ऐसी ही न जाने कितनी अनुकूल अभिवृत्तियों को उनमें विकसित किया है जो आज देश, घर, परिवार, समाज के विकास के साथ-साथ वर्तमान आवश्यकता भी है। किसी भी राष्ट्र के सुदृढ़ एवं सशक्तता के लिए यह आवश्यक है कि उसकी पूरी आबादी को समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि महिलाएँ पूरी आबादी के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। यही कारण है, आज स्त्रियों सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक महिलाओं की चर्चा एक विषय के रूप में उभर पड़ती है, समानता ने आज महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को काफी सीमा तक समाप्त करने का प्रयास कर महिलाओं की दशा-दिशा में परिवर्तन किया है। आज महिलाएँ घरेलू जिम्मेदारियों के साथ-साथ घर-परिवार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं और इस क्षेत्र में शहरी महिलाओं के साथ ग्रामीण महिलाएँ भी आगे बढ़ रही हैं। ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

“महिला सशक्तिकरण का अर्थ किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता तथा उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर तरीके को चुनौती में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा, प्रयास प्रजनन का अधिकार आदि।<sup>4</sup> अर्थात् महिलाओं का सशक्तिकरण अनवरत चलने वाली एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य हाशिए पर के लोगों को मुख्यधारा में लाकर उन्हें सत्ता संरचना में भागीदारी बनाया जा सके। स्वतंत्रता पूर्ण महिलाओं की स्थिति अत्यन्त शोचनीय, शोषण युक्त एवं कुप्रथाओं से घिरी हुई थी, पितृसत्तात्मक एवं लिंग भेद की मानसिकता सर्वत्र व्यक्त थी। जिससे स्थायी विषमताएँ, असन्तोष, तनाव तथा मानवता की हानि जैसी परिस्थियाँ सामने आईं और महिलाओं को कमजोर वर्ग में सम्मिलित किया जाने लगा जब की इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि किसी समाज की वास्तविक स्थिति को जानने का सबसे महत्वपूर्ण आधार वहाँ की महिलाओं की स्थिति को जानना होता है जो सम्पूर्ण समाज के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

अध्ययन का उद्देश्य : प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण में स्वरोजगार में संलग्न महिलाओं की परिवारिक एवं सामाजिक स्थिति को देखने का प्रयास किया गया है।

शोध अभिकल्प : शोध अभिकल्प प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अन्वेषणात्मक है। अतः शोध हेतु इस अध्ययन में अन्वेषणात्मक विवेचनात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग किया गया है, जैसे कि हम जानते हैं कि, महिलाएँ समाज का अभिन्न अंग होती हैं, तथा किसी भी समाज का सामाजिक एवं आर्थिक विकास महिला सशक्तिकरण के बिना अधूरा है। वर्तमान समय में कई सरकारी तथा गैरसरकारी महिलाएँ स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार से योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेको प्रयास किये जा रहे हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन में अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प ही उपयुक्त समझा गया।

अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण से भिन्न परिप्रेक्ष्यों जैसे—सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण से महिलाओं का अध्ययन कर उनकी एक समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अध्ययन को निदर्श पर आधारित किया है, प्रस्तुत अध्ययन बागेश्वर जनपद के तीन ब्लॉक बागेश्वर, कपकोट तथा गरुड़ ब्लॉक पर आधारित है। ब्लॉक से लिए गये आँकड़ों के अनुसार बागेश्वर ब्लॉक से लिए गये 208, कपकोट ब्लॉक में 228 तथा गरुड़ ब्लॉक में 274 (710) महिलाएँ स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों में जुड़कर स्वयं के स्वरोजगार में कार्यरत हैं। संख्या अधिक होने के कारण समग्र रूप से इन्हें अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अतः अध्ययन हेतु दैव निदर्शन पद्धति का उपयोग कर निदर्श चयन का निर्णय लिए गया।

अतः निदर्श के रूप में 710 का 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जायेगा यह चयन लॉटरी पद्धति द्वारा होगा अतः प्रस्तुत अध्ययन कुल 355 अध्ययन इकाईयों पर आधारित है।

प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित होगा तथा आँकड़े एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से साक्षात्कार अनुसूची तथा आवश्यकतानुसार असहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया गया है।

उपलब्धियाँ :

समाज में परिवार अत्यधिक महत्पूर्ण सर्वव्यापी व आवश्यक संस्था है। कुमाऊँ में भी पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता रही है जहाँ महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहते हुए परम्परागत मूल्यों का पालन करता आवश्यक था लेकिन बदलती परिस्थितियों में महिलाओं को भी उनके अधिकारों की प्राप्ति हुई है, जो पुरुषों को प्राप्त है, यही कारण है कि आज महिलाएँ घर से बाहर निकलकर विभिन्न कार्यों को अपना रही हैं।

अतः इसी निरन्तरता में यह जानना आवश्यक है, कि प्रतिकूल परिवारिक परिस्थितियों में महिलाओं के पति उनका साथ देते हैं कि नहीं निम्न सारणी द्वारा इसी मत के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण किया गया है।

प्रतिकूल परिवारिक परिस्थितियों में पति द्वारा सहयोग दिये जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

सारणी संख्या – 1.1

क्रम संख्या	प्रयुत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	265	74.65
2	नहीं	44	12.39
3	कभी-कभी	46	12.96
4	योग	355	100.00

जैसा कि सारणी से स्पष्ट होता है, कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं (74.65 प्रतिशत) ने यह स्वीकार किया है, कि प्रतिकूल परिवारिक परिस्थितियों में पति द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता है। जबकि 12.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस स्थिति को अस्वीकार किया है।

प्राचीन काल से ही महिलाएँ किसी भी समाज का एक महत्पूर्ण अंग मानी जाती हैं। परिवार जो कि समाज की एक मौलिक इकाई है। महिलाएँ उसकी धुरी मानी जाती हैं। अतः अध्ययन में यह जानना आवश्यक हो जाता है, कि उत्तरदाताओं से महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति के बारे में जाना जाये। इस सन्दर्भ में हमारे उत्तरदाताओं के सकारात्मक मत महिलाओं को समाज का महत्वपूर्ण अंग होने की पुष्टि करते हैं। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट होता है।

महिलाएँ समाज का महत्वपूर्ण अंग होती हैं, के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

सारणी संख्या – 1.2

क्रम संख्या	प्रयुत्तर का स्वरूप	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	355	100.00
2	नहीं	—	—
3	कह नहीं सकते	—	—
4	योग	355	100.00

सरणी के अनुसार शत प्रतिशत उत्तरदाताओं का माना है, कि महिलाएँ समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं।

जैसा कि हम सब जानते हैं, कि ग्रामीण समाज सरल समाज माना जाता है। जिसके कारण सामाजिक तथा व्यवसायिक गतिशीलता प्रायः धीमी गति की होती है। महिलाओं के सन्दर्भ में यदि बात कि जाए तो कुमाऊँ जैसे पिछड़े क्षेत्र में यह न्यूनतम हो जाती है। किन्तु वर्तमान परिवेश में समाज धीरे-धीरे परिवर्तित हो रहा है। महिलाओं कि सुरक्षा, राष्ट्र की मुख्य धाराओं से जोड़ने, सामान्ता तथा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नीती नई योजनाएं तथा अधिनियमों का निर्माण हो रहा है। जिसमें स्वयं सहायता समूह एक सशक्त माध्यम हैं।

प्रस्तुत सारणी में भी सर्वाधिक उत्तरदाताओं द्वारा इस मत को स्वीकार किया गया है जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट होता है।

स्वयं सहायता समूहों में कार्य के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में उत्तरदाताओं के मत

सारणी संख्या – 1.3

क्रम संख्या	प्रयुत्तर का स्वरूप	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	344	96.90
2	नहीं	07	1.97
3	कह नहीं सकते	04	1.13
4	योग	355	100.00

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है, कि सर्वाधिक उत्तरदाता ( 96.90 प्रतिशत )का मानना है, कि स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने के पश्चात् महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। जबकि 1.97 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं, जिन्होंने इस सन्दर्भ में अपना कोई भी मत व्यक्त नहीं किया है।

भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को समानता के अधिकार दिये गए हैं। यदि अपवादो को छोड़ें तो संमग्र रूप में समाज के प्रतेक क्षेत्र अभी भी समानता प्राप्त नहीं हुवे हैं, संविधान द्वारा संवैधानिक अधिकारों के मिलने के पश्चात् भी महिलाओं कि सामाजिक, आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। कई अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं, कि आज भी महिलाओं को निर्णय लेने कि स्वतन्त्रता तथा पैत्रिक सम्पत्ति में किसी प्रकार का अधिकार होता है। साथ ही समाज एक ओर बेटे की अनिवार्यता के पक्ष में है। उन्हीं पुत्री में भी भेदभाव किया जाता रहा है। इन सब के साथ एक चिन्ता जनक विषय यह है, कि महिलाओ को सामाजिक तौर पर पुरुष के समान स्थान देने के पक्ष में समाज तैयार नहीं होता है।

निम्नांकित सारणीयों में उत्तरदाताओं के इसी मतों के सन्दर्भ में वर्गीकरण किया गया है।

स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

सारणी संख्या— 1.4

क्रम संख्या	प्रयुत्तर का स्वरूप	आवृति	प्रतिशत
1	हाँ	310	87.32
2	नहीं	—	—

3	कभी-कभी	45	12.68
4	योग	355	100.00

जैसा कि सारणी से स्पष्ट होता है, कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ( 87.32 प्रतिशत ) ने स्वीकार किया है, कि उन्हें स्वयं निर्णय लेने कि पूर्ण स्वतन्त्र प्राप्त है। इसके विपरीत 12.68 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कभी-कभी स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी निरन्तरता में यह जानना भी अवश्यक है, कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले परिवारों में महिलाओं को पैत्रिक सम्पत्ति में अधिकार होना चाहिए या नहीं

निम्न सारणी में इसी मत को स्पष्ट किया गया है।

पैत्रिक सम्पत्ति में महिलाओं के अधिकार के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

सारणी संख्या-1.5

क्रम. संख्या	प्रयुत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आंशिक सहमत	12	3.32
2	सहमत	338	95.21
3	असहमत	05	1.41
4	योग	355	100.00

सारणी के आधार पर स्पष्ट होता है, कि 95.21 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत तथा 3.32 प्रतिशत उत्तरदाता आंशिक रूप से सहमत है, कि पैत्रिक सम्पत्ति में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। किन्तु अनौपचारिक वर्तलाप से स्पष्ट हुआ है, कि आज भी समाज पूर्णतः पारम्परिक ही है। क्योंकि समाज में पैत्रिक सम्पत्ति पर केवल पुरुषों का ही अधिकार है महिलाओं का नहीं। इसी श्रृंखला में यह जानना भी आवश्यक है, कि उनकी कार्य करने के कारण सामाजिक स्थिति किस प्रकार कि है।

निम्न सारणी में उनकी सामाजिक स्थिति को देखने का प्रयास किया गया है।

स्वयं के रोजगार से समाज के लोगो के दृष्टिकोण के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

सारणी संख्या – 1.6

क्रम. संख्या	प्रयुत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	उत्साहपूर्ण	90	25.35
2	सम्मान-जनक	143	40.28
3	हेय-दृष्टिय सेदेखना	53	14.93
4	तटस्थ	69	19.44
5	योग	355	100.00

सारणी के आधार पर कहा जा सकता है, कि अधिकांश (40.28 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है, कि रोजगार से जुड़े होने के कारण समाज के लोग उन्हें सम्मान जनक दृष्टिकोण से देखते हैं। इसी निरन्तरता में यह जानना भी आवश्यक है, कि सामाजिक व परिवारिक तौर पर स्वरोगार के लिए प्रोत्साहित करने वाले कौन-कौन सदस्य है। निम्नांकित सारणी के आधार पर इसी तथ्य को लेकर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण किया गया है।

रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने वाले सदस्यों के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

सारणी संख्या – 1.7

क्रम. संख्या	प्रयुत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	माता –पिता	54	15.21
2	सास-ससुर	36	10.14
3	पति	112	31.55

4	स्वयं का निर्णय	153	43.10
5	योग	355	100.00

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है, कि अधिकांश उत्तरदाताओं (43.10 प्रतिशत) का रोजगार में आने से का निर्णय स्वयं का है। इसके विपरीत केवल (10.14 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे हैं, जिनको उनके सास-ससुर द्वारा रोजगार के लिए प्रेरित किया गया है, कि सारणी के आधार पर कहा जा सकता है, कि महिलाओं ने अपनी योग्यता एवं कुशलता को पहचान कर उसे सिद्ध करने का प्रयास किया है। साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए एक लक्ष्य कि ओर दिशा का निर्धारण किया है। यही कारण है, कि अधिकांश महिलाओं से इस बात कि पुष्टि भी होती है, कि एक अच्छा जीवन स्तर के चाह में स्वयं पति भी चाहता है, कि उसकी पत्नी आर्थिक रूप से सशक्त हो तथा परिवार की आय को बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। यही कारण है, कि 31.35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है, कि रोजगार में जुड़ने के लिए उनके पति द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

निष्कर्ष :

सारांश रूप में कहा जा सकता है, कि जिला बागेश्वर के तीन ब्लॉकों-बागेश्वर ब्लॉक, गरुड ब्लॉक, कपकोट ब्लॉक में वर्तमान में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं भी धीरे-धीरे परिवर्तित हो रही हैं। क्योंकि परिवार कि समस्त जिम्मेदारी पुरुष तथा महिला दोनों समान रूप से उठाए जा रहे हैं। शायद यही कारण है, कि आज अधिकांश पुरुष उन्हीं महिलाओं से विवाह करना आवश्यक मानते हैं जो कार्यरत हो या आर्थिक रूप से सशक्त हो। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं में समाजिक एवं व्यवसायिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं अपने कार्य से सम्बन्धित दायित्वों के निर्वहन के लिए घर से बाहर एकले जाने लगी हैं, प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों में महिलाओं के पति उनका साथ देते हैं, स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने के पश्चात् महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तथा रोजगार करने के पश्चात् समाज के लोगो का दृष्टिकोण उनके लिए बदला है स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात् अपने आपको संगठित करने की क्षमता काफी हद तक बढ़ी है, जो सशक्तिकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

सुझाव :

- स्वयंसेवी संगठन को प्रभावी बनाना।
- महिला विकास कार्यक्रमों की जानकारी ग्राम्य स्तर तक स्थानीय भाषा में प्रसारित करना।
- उत्पादिन वस्तुओं के वितरण, विपणन एवं व्यापक में भागीदारी करना।

सन्दर्भ सूची

- 1 कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2014 पे.न.-25
- 2 Chauhan India Purdah to Babessian- P.N.-183
- 3 Kapoor promila, marriage and working women in india, vikash, new dehlhi. P.n.-47-49
- 4 महिला सशक्तिकरण: कुछ अनसुलझे पहलू दिनेश कुमार एवं बजरंग भूषण, कुरुक्षेत्र मार्च-2006 पृ0-10